

ORDER SHEET 625-2016Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
16-12-16	<p>परिवादी द्वारा अधि०श्री प्रवीण गुप्ता उप० आरोपीगण सहित अधि०श्री जी०एस०गुर्जर,हृदेश शुक्ला एवं के०के०शुक्ला उप०</p> <p>आज दिनांक को आरोपीगण को द०प्र०स०की धारा 208 के अंतर्गत परिवादपत्र एवं दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदान की गई।</p> <p>प्रकरण आज उर्पापण तर्क हेतु नियत है।</p> <p>उर्पापण पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये एवं आदेश किया जा रहा है।</p> <p>यह उल्लेखनीय हैकि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भादस की धारा 307/149 एवं 148 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। उक्त अपराध अन्यय रूप से माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रस्तुत प्रकरण द०प्र०स०की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय को सादर उर्पापित किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण को द०प्र०स०की धारा 208 के अंतर्गत दस्तावेजों की निशुल्क प्रतियाँ प्रदान की जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त घटना के संबंध में पुलिस द्वारा भादस की धारा 147,148,149 एवं 336 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि इस न्यायालय में प्र०क०625/15 पर विचाराधीन है चूंकि प्रस्तुत परिवाद एवं प्र०क०625/15 एक ही घटना से संबंधित है इसलिये द०प्र०स० की धारा 210 के अंतर्गत दोनो प्रकरणों का विचारण साथ साथ किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत परिवाद प्र०क०625/15 के साथ संलग्न किया जाता है। प्रस्तुत परिवाद का विचारण प्रकरण क्रमांक 625/15 के साथ पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित</p>	

मामलों की प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा।
प्रकरण दिनांक 23/12/16 को प्र0क0625/15 के साथ
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश हो।

सही- /
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
कीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य

[illegible]